## Schemes for educated Unemployed People in Rural Areas

99. SHRI GOVIND RAM MIRI: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) what are the details of the schemes projects assistance etc. sanctioned/extended by his Ministry to Madhya Pradesh, Rajasthan and North-Eastern States during each of the preceding five years for generating employment opportunities for the educated unemployed people of the rural areas; and

(b) what have been the achievements and failures of each of these till date?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) Ministry of Rural Areas & Employment has been implementing various employment generating schemes in the Country including Madhya Pradesh, Rajasthan & N.E. States for rural poor families including educated unemployed persons to enable them to gain wage employment as well as equip them to become self employed. To this end different projects have also been sanctioned during the last 5 years. Details of such employment generating schemes/ Projects as also their achievements are enlosed in Annexure. [See Appendix 184, Annexure No. 1]

## विकास कार्यकलापों के लिए संखीकृत की गई निधि का दरुपयोग

100. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में विकास कार्यकलायों के लिए संस्वीकृत की गई निधियों के संबंध में अनियसितताओं, धन के गबन और दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार निगरानी तंत्र को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने का विचार रखती है कि निधियों का उपयोग निर्धारित योजनाओं के लिए किया जाए: और (घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई विस्तृत प्रतिवेदन भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के संबंध में निधियों के दुरूपयोग और अनियमितताओं के बारे में मध्य प्रदेश से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। त्रिपुरा राज्य से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के संबंध में प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(ग) जो हां। सरकार ने निगरानी तंत्र को सुदुढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि का केवल निर्धारित योजनाओं के लिए उपयोग किया जाए :—

- (i) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिए गए हैं कि वे जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सतर्कता और निगरानी समिति का गठन करें।
- (ii) ग्रामोण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय को क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी उन्हें आबंटित राज्यों का दौरा करते है और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के कार्यक्रमों का निरीक्षण करते हैं।
- (iii) मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे कार्य, निधि और लाभार्धियों के ब्यौरे को अपने-अपने स्थानों में प्रदर्शित कर ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर पर पारदर्शिता सनिश्चित करें।
- (iv) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षण।

(घ) इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।